पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था0–13/2021, सो0 1070

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

निदेशक,
समाजिक सुरक्षा निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 17/04/2026

विषयः– **जिला स्तर पर निर्मित्त कार्यपालक सहायक के पैनल से अन्य विभागों द्वारा संविदा के आधार पर ली गयी कार्यपालक सहायकों के अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में।**

प्रसंगः– समाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक–574, दिनांक–27.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल से अन्य विभागों/कार्यालयों द्वारा अधियाचना के आधार पर संविदा के आधार पर ली गयी कार्यपालक सहायकों के मामले में नियोजन प्राधिकार संबंधित विभाग/कार्यालय होते हैं। साथ ही वैसे कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान, संविदा अवधि विस्तार, अवकाश की स्वीकृति एवं संधारण इत्यादि कार्य संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा किया जायेगा एवं उक्त के क्रम में कार्यपालक सहायक को देय मानदेय तथा अन्य सेवा शर्त बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा समय समय पर यथासंशोधित दर एवं शर्तों के अनुरूप होंगे। सुलभ प्रसंग हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का निर्गत पत्रांक–861, दिनांक 18.06.2018 संलग्न है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायकों के स्थानांतरण के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र भी सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न की जा रही है।

विदित हो कि कार्यपालक सहायक का पैनल जिलास्तरीय है। जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल से अन्य विभागों/कार्यालयों द्वारा अधियाचना के आधार पर संविदा के आधार पर ली गयी कार्यपालक सहायकों के मामले में संबंधित विभाग/कार्यालय निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.4.26

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी